न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां (राज.)

प्र.सं. 151/16 दावा

बउनवान

श्रीमति द्रोपदीबाई पुत्री मांगीलाल पत्नि बालकिशन जाति ब्राह्मण निवासी मियाड़ा तहसील बारां हाल निवासी महालक्ष्मीपुरम अर्पाटमेन्ट बोरखेड़ा नयानोहरा कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा (राज.)

वादनी

बनाम

1— परमानन्द पुत्र मांगीलाल जाति जाति ब्राह्मण निवासी मियाड़ा तहसील बारां
2— गुलाबचन्द पुत्र नाथूलाल जाति धाकड़ निवासी मियाड़ा तहसील बारां
3— वसीम अहमद पुत्र मोहम्मद शफी जाति मुसलमान निवासी बारां तहसील बारां
4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0

अन्तिम निर्णय दिनांक 27.09.2019

उपस्थितः— श्री धर्मेन्द्रसिंह सौलंकी एडवोकेट वादीनी

उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्राथमिक निर्णय/डिक्री दिनांक 15.02.2019 द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम मियाड़ा तहसील बारां खाता संख्या 165 के ख.नं. 679 रकबा 0.30 है., व खसरा नंबर 681 रकबा 4.02 है., कुल 4.32 है. में वादनी द्रोपदीबाई पुत्री मांगीलाल पत्नि बालकिशन का 1/4 तथा खाता संख्या 164 के खसरा नंबर 680 रकबा 0.04 है. गै. मु. चाह वादनी का 1/4 हिस्सा का बंटवारा कर पृथक पृथक खाते दर्ज करने व पृथक लगान निर्धारण करने तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा पूर्वानुसार संयुक्त रूप से रखे जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार, बारां से वादनी के हिस्से अनुरूप उसके कब्जे काश्त को प्राथमिकता के आधार पर विभाजन प्रस्ताव चाहे गये थे।

तहसीलदार, बारां से विभाजन प्रस्ताव इस प्रकार प्राप्त हुये कि ग्राम मियाड़ा की आराजी खसरा नंबर 679 रकबा 0.30 है., 681 रकबा 4.02 है. कुल किता 2 रकबा 4.32 है. खातेदार परमानन्द पुत्र मांगीलाल हिस्सा 3/8, द्रोपदीबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण, गुलाबचन्द पुत्र नाथूलाल हिस्सा 3/16 जाति धाकड़, वसीम अहमद पुत्र मो0 शफी जाति मुसलमान दर्ज रिकार्ड है। मौकानुसार वादनी द्रोपदीबाई मौके पर काश्त नहीं करती है तथा प्रतिवादीगण पृथक पृथक काश्त करते हैं। अतः मौका अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी अनुसार ग्राम मियाड़ा की आराजी खसरा नंबर 681 रकबा 1.08 है. पूर्वी वादनी के हिस्से, परमानन्द पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण, वसीम अहमद पुत्र मो0 शफी हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान, गुलाबचन्द पुत्र नाथूलाल हिस्सा 1/4 जाति धाकड़ सा0 देह के हिस्से ग्राम मियाड़ा की आराजी खसरा नंबर 681 रकबा 3.24 है. पश्चिमी एवं खसरा नंबर 679 रकबा 0.30 है. प्रस्तावित कर प्रस्ताव प्रेषित किये हैं। तथा आराजी खसरा नंबर 680 रकबा 0.04 है. गै. मु. चाह में वादी का हिस्सा 1/4 पृथक बंटवारा करने हेतु निर्देशित किया गया है परन्तु भूमि गै. मु. चाह होने से पृथक विभाजन व दिशा का निर्धारण किया जाना संभव नहीं होना अंकित किया है।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादनी को एकपक्षीय सुना गया। वकील वादनी ने प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम मियाड़ा की आराजी खसरा नंबर 681 रकबा 1.08 है. पूर्वी वादनी के पृथक खाते दर्ज करने एवं अलग से लगान निर्धारित किया जाकर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया, तथा ग्राम मियाड़ा की आराजी खसरा नंबर 680 रकबा 0.04 है. गै. मु. चाह वादनी एवं प्रतिवादी परमानन्द पुत्र मांगीलाल जाति जाति ब्राह्मण निवासी मियाड़ा के संयुक्त खाते दर्ज रखे जाने की सहमति दी।

अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव ग्राम मियाड़ा की आराजी खसरा नंबर 681 रकबा 1.08 है. **पूर्वी** वादनी के पृथक खाते दर्ज करने तथा पृथक से लगान निर्धारित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा ग्राम मियाड़ा की आराजी खसरा नंबर 680 रकबा 0.04 है. गै. मु. चाह वादनी एवं प्रतिवादी परमानन्द पुत्र मांगीलाल जाति जाति ब्राह्मण निवासी मियाड़ा के संयुक्त खाते दर्ज रहेगी। तहसीलदार, बारां उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करे। अन्तिम डिक्री जारी हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हीरालाल मीना R.A.S.)
उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Meena
Date: 2019.10.17 18:00:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: